



#1651

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ़ (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - सुन्दरपुर

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 1351 दायर दिनांक 11/10/25 निर्णय दिनांक 11/10/25

| क्र.सं. | नाम- ग्राम | खान | रिपोर्ट | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
|---------|------------|-----|--|--|
| 1 | सुन्दरपुर | 81 | <p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> | <p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम सुन्दरपुर प.ह. सुन्दरपुर खतासं 81 में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> |
| | | | <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> | <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> |

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल सुन्दरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर
राजस्थान अधिकाारी

तहसीलदार कपासन

11/10/25 (11/10/25)